

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/331/2024

दिनांक- 13/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय- प्र.सं. 331/2024 अनवान दुर्गालाल पिता सुवा अचारज निवासी रोपा बनाम लोकश पिता जगदीश अचारज निवासी रोपा, राहुल पिता कैलाश अचारज निवासी रोपा, काशीराम पिता कैलाश अचारज निवासी रोपा, काशीराम पिता चालू अचारज निवासी रोपा, महावीर पिता लादू अचारज निवासी रोपा, दुर्गा पुत्री हरजी अचारज निवासी रोपा, केसर पिता रामप्रसाद जाट निवासी रोपा वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत ।।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम रोपा प.ह. रोपा आराजी सं. 1589/1, 1591/2, 1591/4 कुल कित्ता 03 रकबा 1.8615 हेक्टेयर भूमि की उमयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु नू-अनिलेख निरीक्षक रोपा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उमयपक्ष की उपस्थिती में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दुर्गालाल पिता सुवा अचारज निवासी रोपा
बनाम
लोकश पिता जगदीश अचारज निवासी रोपा, वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
13.05.2024	<p>किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए</p> <p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाशक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम रोपा प.ह. रोपा आराजी सं. 1589/1, 1591/2, 1591/4 कुल कित्ता 03 रकबा 1.8615 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाशक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम रोपा प.ह. रोपा आराजी सं. 1589/1, 1591/2, 1591/4 कुल कित्ता 03 रकबा 1.8615 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक रोपा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 200 रु राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p>	मुकदमा नंबर 33/2024

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा